भागीदारी विलेख

यह भागीदारी विलेख दिनांक.....माह.....सन्.....को ..... के दिन..... नगर में निम्नलिखित व्यक्तियों के द्वारा उनके बीच .....(ग्राम/शहर का नाम) में निष्पादित किया गया :–

(1) श्री.....आत्मज.....आयु.....निवासी.....

(2) श्री.....आत्मज.....आयु.....निवासी.....

(3) श्री.....आत्मज.....आयु.....निवासी.....

उक्त भागीदार को आगे क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पक्षकार के नाम से संबंधित किया जाएगा ।

और चूंकि हम सह भागीदारों ने मिलकर संयुक्तः रूप से ..... का व्यवसाय करने एवं उसके लाभों को बांटने के लिए एक भागीदारी फर्म का गठन करने का निश्चय किया है, एवं निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत हम इस भागीदारी विलेख को निष्पादित करते हैः–

(1) कि इस भागीदारी फर्म को ..... नाम से संबोधित किया जायेगा एवं दिनांक ..... से इसका व्यवसाय आरम्भ माना जायेगा ।

(2) कि फर्म का मुख्य कार्यालय..... स्थान पर होगा और भागीदारों की राय से इसमें परिवर्तन किया जा सकेगा ।

(3) कि उक्त भागीदारी फर्म का गठन ..... वर्षों के लिए किया जाता है, पर बाद में भी सभी पक्षकारों की सहमति से उसे चालू रखा जा सकेगा ।

(4) कि भागीदारी फर्म की कुल पूंजी ..... रू. होगी, जिसमें तीनों भागीदारों का बराबर अंशदान होगा ।

(5) कि फर्म के लाभों को तीनों भागीदारों में समान रूप से बांटा जायेगा एवं हानि तीनों भागीदारों समान रूप से वहन करेंगे ।

(6) कि भागीदारी फर्म के लाभों का बंटवारा करने में लेखा–जोखा तैयार करने के लिए वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च तक का माना जायेगा ।

(7) कि भागीदार उक्त प्रथम पक्षकार को फर्म का प्रबंधक नियुक्त करते हैं, एवं उसे एतद्द्वारा इस करार के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्त्तव्य सौंपते है :–

(i) वह भागीदारी के कारोबार का निर्देशन एवं देखभाल करेगा ।

(ii) वह फर्म के लिए उपयुक्त कर्मचारियों की नियुक्ति, पदमुक्ति एवं पदोन्नति कर सकेगा, पर उनके वेतन का निर्धारण तीनों भागीदार मिलकर करेंगे ।

(iii) वह फर्म की ओर से न्यायालय में वाद–संस्थित कर सकेगा, अपनी इच्छा से किसी अधिवक्ता, मुख्तार, अभिकर्ता या प्रबंधक की नियुक्ति या पदमुक्ति कर सकेगा ।

(iv) फर्म का सारा लेखा–जोखा तैयार करवाएगा एवं समय–समय पर उसका निरीक्षण निर्देशन करता रहेगा ।

निरंतर...2

(v) फर्म की ओर वह ..... बैंक में भागीदारी फर्म के नाम से खाता खोलेगा एवं अपने हस्ताक्षर से उसे चलाएगा ।

(vi) वर्ष के अंत में फर्म के लाभों को तीनों पक्षकारों में बराबर–बराबर अदायगी करवाएगा।

(8) कि प्रबंधक को अपने उक्त कार्यों के लिए अलग से कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जायेगा।

(9) कि सभी पक्षकार फर्म के हित एवं लाभों के लिए कार्य करेंगे एवं किसी पक्षकार द्वारा दुराचरण किये जाने पर अन्य भागीदार को भागिता का विघटन करने का अधिकार होगा ।

(10) कि भागीदारी फर्म के व्यवसाय का पूरा लेखा–जोखा रखा जायेगा, सभी बिल, रसीद, बाऊचर आदि को सुरक्षित रखा जायेगा एवं सभी भागीदारों को उसके निरीक्षण का अधिकार होगा ।

(11) कि भागीदारों के बीच किसी भी प्रकार का वाद–विवाद उत्पन्न हो जाने पर उसे पंच निर्णय के लिए सौंपा जायेगा, एवं पंचों द्वारा दिया गया पंचाट (Award) सभी पक्षकारों को बाध्यकारी होगा ।

(12) जब तक भागीदारी का व्यवसाय चलेगा किसी भागीदार को फर्म से मिलता–जुलता व्यवसाय अपने नाम से करने का अधिकार नहीं होगा ।

(13) कि भागीदारी फर्म विघटित हो जाने पर सभी पक्षकार उनके द्वारा लगायी गयी पूंजी को एवं फर्म के लाभों को पाने का अधिकार रहेंगे ।

उपर्युक्त के साक्ष्य स्वरूप हम दोनों पक्षकारों ने निम्नलिखित दो साक्षियों के समक्ष उपर्युक्त स्थान एवं दिनांक पर अपने हस्ताक्षर कर दिये है ।

साक्षीगण :–

(1) .....

(2) .....

हस्ताक्षर .....
(प्रथम पक्षकार)

हस्ताक्षर .....
(द्वितीय पक्षकार)

हस्ताक्षर .....
(तृतीय पक्षकार)

स्थान :–.....

दिनांक :–.....